न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री घनश्याम शर्मा, आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या : 54/2015

वादी :-	बनाम	प्रतिवादीगण :-
1. बुगलाराम पुत्र डूंगाराम जाति-रेगर, निवासी-कुडकी तहसील-जैतारण, जिला-पाली		1. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार, जैतारण भूमिधारी राजस्थान सरकार 2. पटवारी, पटवार हल्का-कुडकी तहसील-जैतारण (जिला-पाली)

राजस्व वाद बाबत् घोषणा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 एवं धारा 136 एल.आर.एक्ट तारीख रजू:. 17/04/2015

उपस्थितः. 1. श्री महेन्द्र प्रजापत, अधिवक्ता, वादी।

-:: निर्णय ::- दिनॉकः 08/07/2015

वकील मय वादी ने एक राजस्व वाद बाबत् घोषणा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, एवं धारा 136 एल.आर.एक्ट विरूद्ध प्रतिवादी इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि सरहद मौजा-कुडकी, तहसील-जैतारण में वादी के बाप दादा के समय से भूमि खसरा नम्बर 303, 275 कुल किता-2 कुल रकबा 17 बीघा 16 बीस्वा किस्म बारानी प्रथम की आई हुई हैं, जो वादी के पिता नाम से आई हुई थी तथा वादी के पिता का स्वर्गवास होने के पश्चात म्यूटेशन संख्या 204/8 भरा गया था। जिसमें वादीका नाम बगता पुत्र डूंगा गलत अंकित कर दिया था वादी ने बैंक में जाकर उक्त जमीन पर ऋण लेने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया तथा पटवारी हल्का-कुडकी से उक्त जमीन की नकले ली। तब बैक अधिकारी ने ऋण के कागजात देखकर वादी को ऋण देने से मना कर दिया क्योकि राजस्व रेकर्ड में वादी का गलत नाम बगला पुत्र डूंगा लिखा हुआ था। जबकि वादी के अन्य दस्तावेज राशन कार्ड परिचय पत्र आदि में वादी का सही नाम बुगलाराम पुत्र डूंगाराम जाति-रेगर, निवासी-कुडकी, तहसील-जैतारण लिखा हुआ हैं, जो सही है अर्थात राजस्व रेकर्ड में अंकित वादी के नाम एवं अन्य दस्तावेजात में अंकित वादी के नाम में भिन्नता होने के कारण बैंक से ऋण नहीं दिया गया। अभी बरसात का समय है तथा वादी अपने खेत को आधुनिक तरिके से बुवाई करने हेतु उपकरण खरीदना चाहता है। इसलिए वह बैंक से ऋण लेना चाहता है। नाम की भिन्नता के कारण वादी को ऋण नहीं दिया जा रहा हैं। जबकि बगता पुत्र डूंगा तथा बुगलाराम पुत्र डूंगाराम दोनों नाम का एक ही व्यक्ति हैं। राशन कार्ड, परिचय पत्र व अन्य जमाबंदी संलग्न हैं। बिनायदावा दिनांक 06/04/2015 को पैदा हुआ। जब वादी ने पटवारी पटवार हल्का-कुडकी से जमाबंदी को नकले ली तथा बैंक से ऋण हेतू आवेदन किया जो श्रीमान के क्षैत्राधिकार व श्रवणाधिकार में हैं।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिए नोटिसेज वास्ते जवाबदावा तलब किया गया। बहस वकील वादी सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता वादी ने व्यक्त किया कि चुंकि वादी के संलग्न साक्ष्य बतौर प्रस्तुत दस्तावेज भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र संख्या NQJ/0427237 दिनांक 03/01/2011, राशन कार्ड सं0 82 में भी वादी का वास्तविक नाम बुगलाराम पुत्र

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

डूंगाराम दुरूस्त रूप से दर्ज है, जिससे वादी का वाद स्वीकार किये जाने तथा बगला के स्थान पर बुगलाराम पुत्र डूंगाराम दुरूस्त दर्ज किये जाने की प्रार्थना की है।

पत्रावली राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र-कुड़की में पेश हुई। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। तहसीलदार, जैतारण स्वयं प्रतिवादीगण राजस्व लोक अदालत में उपस्थित प्रतिवादीगण ने जबाबदावा पेश किया, सा0मि0 हैं। पत्रावली में प्रस्तुत वाद-पत्र मय शपथ-पत्र एवं दस्तावेजात यथा जमाबंदी सम्वत् 2034-2037 एवं पहचान पत्र दिनांक 03/01/2011, राशन कार्ड का गहनतापूर्वक अध्ययन किया गया तथा बहस वाद वकील वादी पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः वादी का उक्त राजस्व रेकर्ड में दर्ज इन्द्राज बगला त्रूटिपूर्ण होने व दुरूस्त करने का उक्त दस्तावेजाज साक्ष्य पेश किया हैं। आया बुगलाराम पुत्र डूंगाराम एक व्यक्ति वादी ही है तथा वास्तविक नाम बुगलाराम ही है, जरिए शुद्धि-पत्र दुरूस्ती किया जाना उचित समझते हैं।

-:: आदेश ::-

अतः डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा-कुडकी, तहसील-जैतारण में भूमि खसरा नम्बर 303, 275 कुल किता-2 कुल रकबा 17 बीघा 16 बीस्वा किस्म बारानी प्रथम भूमि के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में गलत दर्ज वादी का नाम वास्तविक रूप से फोटो पहचान पत्र संख्या NQJ/0427237 दिनांक 03/01/2011, राशन कार्ड सं0 82 के दस्तावेजात अनुसार बुगलाराम एक ही व्यक्ति वादी ही हैं। अतः वास्तविक नाम बुगलाराम होने से जरिए शुद्धि पत्र दुरूस्त किया जाने का आदेश दिया जाता हैं। डिक्री पर्चा पृथक से बनाया जाकर सा0मि0 किया गया। तहसीलदार जैतारण को डिक्री पर्चा की प्रति भेजी जाकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर/ लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला.पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 08/07/2015 को राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र-कुड़की पर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला.पाली (राज0)

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई

(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :- उपखण्ड अधिकारी, मुकामः- जैतारण

बईजलास :- **श्री घनश्याम शर्मा , आर0ए0एस0**

वादी :-

1. बुगलाराम पुत्र डूंगाराम
   जाति-रेगर, निवासी-कुडकी
   तहसील-जैतारण, जिला-पाली

बनाम

प्रतिवादीगण :-

1. राजस्थान सरकार जरिए
   तहसीलदार, जैतारण भूमिधारी
   राजस्थान सरकार
2. पटवारी, पटवार हल्का-कुडकी
   तहसील-जैतारण (जिला-पाली)

राजस्व वाद बाबत् घोषणा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 एवं धारा 136 एल.आर.एक्ट

मु0न0 :रा0वा0 स0: 54/2015

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू .....-..... व हाजरी श्री महेन्द्र प्रजापत, अधिवक्ता, वादी मिनजानिब मुद्धई व मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा-कुडकी, तहसील-जैतारण में भूमि खसरा नम्बर 303, 275 कुल किता-2 कुल रकबा 17 बीघा 16 बीस्वा किस्म बारानी प्रथम भूमि के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में गलत दर्ज वादी का नाम वास्तविक रूप से फोटो पहचान पत्र संख्या NQJ/0427237 दिनांक 03/01/2011, राशन कार्ड सं0 82 के दस्तावेजात अनुसार बुगलाराम एक ही व्यक्ति वादी ही हैं। अतः वास्तविक नाम बुगलाराम होने से जरिए शुद्धि पत्र दुरूस्त किया जाने का आदेश दिया जाता हैं। डिक्री पर्चा पृथक से बनाया जाकर सा0मि0 किया गया। तहसीलदार जैतारण को पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर/ लेख्य भण्डार जमा हो।

नीज .....-.....मुबलिक.....-.....बाबत.....-.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ....-.....फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....-.....को अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 08/07/2015 को जारी किया गया ।

मोहर

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
(जिला-पाली)

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्धायलाह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	02-	00	स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा	01-	00	स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील	06-	00	खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर	02-	00	बाबत ईजराय हुक्मनामा		
बाबत ईजराय हुक्मनामा			मुत्फरिक		
मिजानः-	11-	00	मिजानः-		

नोटः- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।

Scanned by CamScanner